

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2023 राजस्व अपील

1. रामकिशोर पुत्र रामपाल जाति माली निवासी ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट

( अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.08.2018 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 74/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकिशोर )

उपस्थिति : श्री मकखन शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 09.10.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त ने ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा की आराजी खसरा नम्बर 784/786 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त कतई झूठी व गलत रिपोर्ट के आधार पर नियम कानून व प्रावधानों पर विचारा किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोष सिद्ध किया जाकर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 21.08.2018 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म के साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्त को दोषी मानते हुये दण्डित किया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर भी नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय बहुत ही आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है। आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में अपीलान्त्स को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलान्त्स की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्त्स ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं अपीलान्त्स का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्त्स द्वारा अपील अपीलान्त्स स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने सम्वत 2078 में ग्राम दुब्बी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त्स को विधिवत नोटिस जारी सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर अपीलान्त्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त्स को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त्स खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त्स का ग्राम दुब्बी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त्स आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त्स द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में अपीलान्त्स शपथकर्ता का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्त्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दुब्बी उप तहसील सिकन्दरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अपीलान्त्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्त्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की



( सुमित्रा पारीक )  
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया ।

( सुमित्रा पारीक )  
अति० जिला कलक्टर ,दौसा